

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :- रमेशकुमार आर.ए.एस.

राजस्व वादपत्र संख्या :- 2024/38

1. उर्मिला पत्नी रामकुमार जाति बिश्नोई निवासी चक 1 पीएचएम तह: खाजूवाला जिला बीकानेर

..... वादीया

बनाम

1. राजपाल पुत्र ओमप्रकाश जाति बिश्नोई निवासी 65 आरबी तह: रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़
2. भंवरलाल पुत्र आशाराम जाति भाट निवासी 2 पीएचएम तह: खाजूवाला जिला बीकानेर
3. राज0 राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 आर.टी. एक्ट

—: निर्णय :—

दिनांक :- 28.05.25

यह वादपत्र वादीया की ओर से अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट. में प्रस्तुत किया है। वादपत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादीया एवं प्रतिवादी सं० 1, 2 के नाम तहसील खाजूवाला के चक 2 पीएचएम ए मु०नं० 158/01 के किला नं० 22 ता 25 प्रत्येक में 0.2529 है० तादादी 1.0116 है० कमाण्ड व मु०नं० 158/09 के किला नं० 1 ता 4 प्रत्येक में 0.2529 है०, 5/2 में 0.0253 है०, 6 में 0.2276 है०, 7 ता 13 सालम, 19 ता 22 सालम तादादी 4.0464 है० कमाण्ड इसप्रकार दोनों मुरब्बा में कुल तादादी 5.0580 है० कमाण्ड भूमि संयुक्त खाते की खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड में है। जिसमें वादीया का 3/10 हिस्सा व प्रतिवादी सं० 1 का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी सं० 2 का 1/5 हिस्सा बनता है। उक्त भूमि का वाहमी बंटवारी वादीया एवं प्रतिवादीगण के बीच हो चुका है। उक्त वाहमी बंटवारे के अनुसार चक 2 पीएचएम ए मु०नं० 158/09 के किला नं० 3, 8, 11 ता 13 व 20 प्रत्येक में 0.2529 है० तादादी 1.5174 है० कमाण्ड भूमि पर वादीया का कब्जा काश्त है, तथा चक 2 पीएचएम ए मु०नं० 158/01 के किला नं० 22 ता 25 प्रत्येक में 0.2529 है० तादादी 1.0116 है० कमाण्ड व मु०नं० 158/09 के किला नं० 4 में 0.2529 है०, 5/2 में 0.0253 है०, 6 में 0.2276 है०, 7, 19, 21 व 22 प्रत्येक में 0.2529 है० कमाण्ड तादादी 1.5174 है० कमाण्ड इसप्रकार कुल तादादी 2.5290 है० कमाण्ड भूमि पर प्रतिवादी सं० 1 का कब्जा काश्त एवं शेष भूमि चक 2 पीएचएम ए मु०नं० 158/09 के किला नं० 1, 2, 10, 11 प्रत्येक में 0.2529 है० कमाण्ड तादादी 1.0116 है० कमाण्ड भूमि पर प्रतिवादी सं० 3 का कब्जा काश्त चला आ रहा है। दिनांक 26.03.2024 को वादीया ने प्रतिवादी सं० 1, 2 से अपनी भूमि को विधिक रूप से बंटवारा करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में अलग-अलग अंकन करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादी सं० 1, 2 ने स्पष्ट मना कर दिया। वादीया एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खाते की कृषि भूमि वाके चक 2 पीएचएम ए मु०नं० 158/01 के किला नं० 22 ता 25 प्रत्येक में 0.2529 है० तादादी 1.0116 है० कमाण्ड व मु०नं० 158/09 के किला नं० 1 ता 4 प्रत्येक में 0.2529 है०, 5/2 में 0.0253 है०, 6 में 0.2276 है०, 7 ता 13 सालम, 19 ता 22 सालम तादादी 4.0464 है०

कमाण्ड इसप्रकार दोनों मुरब्बा में कुल तादादी 5.0580 है0 कमाण्ड भूमि में से वादीया के 3/10 हिस्सा की भूमि चक 2 पीएचएम ए मु0नं0 158/09 के किला नं0 3, 8, 11 ता 13 व 20 प्रत्येक में 0.2529 है0 तादादी 1.5174 है0 कमाण्ड भूमि पर वादीया का कब्जा काश्त है एवं शेष भूमि पर पैरा सं0 3 में वर्णित अनुसार प्रतिवादी सं0 1,2 का कब्जा काश्त है, इसी अनुसार खाता विभाजन कर राजस्व रिकॉर्ड में वादीया एवं प्रतिवादी सं0 1, 2 के नाम से अलग-अलग दर्ज कर तथा उसी अनुसार खाता तकसीम कर लगान अलग-अलग किया जावे।

सर्वप्रथम दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस/समन तलबी करवाई गई। बावजूद सूचना प्रतिवादी सं0 2 गैरहाजिर रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई एवं प्रतिवादी सं0 1 की ओर से अधिवक्ता श्री रामकुमार तेतरवाल हाजिर आकर बंटवारा बाबत् सहमति हेतु निवेदन किया। तत्पश्चात प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं तहसीलदार खाजूवाला से विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नजरी प्रस्तुत हुआ जिसके अनुसार चक 2 पीएचएम ए मु0नं0 158/01 के किला नं0 22 ता 25 प्रत्येक में 0.2529 है0 तादादी 1.0116 है0 कमाण्ड व मु0नं0 158/09 के किला नं0 1 ता 4 प्रत्येक में 0.2529 है0, 5/2 में 0.0253 है0, 6 में 0.2276 है0, 7 ता 13 सालम, 19 ता 22 सालम तादादी 4.0464 है0 कमाण्ड इसप्रकार दोनों मुरब्बा में कुल तादादी 5.0580 है0 कमाण्ड भूमि संयुक्त खाते की खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त रिपोर्ट/प्रस्ताव में प्रतिवादी सं0 2 भंवरलाल पुत्र आशाराम जाति भाट निवासी 2 पीएचएम तहः खाजूवाला के मु0नं0 158/09 के किला नं0 1,10,11,20 प्रत्येक में 0.2529 है0 रकबा कुल तादादी 1.0116 है0 रकबा दर्शाया है एवं प्रतिवादी सं0 1 राजपाल पुत्र ओमप्रकाश जाति बिश्नोई निवासी 65 आरबी तहः रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़ के मु0नं0 158/01 के किला नं0 22 ता 25 प्रत्येक में 0.2529 है0 तादादी 1.0116 है0 , मु0नं0 158/09 के किला नं0 2 में 0.0253 है, 9 में 0.2276 है0, 12 सालम, 13 सालम, 19 सालम, 21 सालम, 22 सालम तादादी 1.5174 है0 इसप्रकार कुल तादादी 2.5290 है0 दर्शाया है एवं वादीया उर्मिला पत्नी रामकुमार जाति बिश्नोई निवासी 3 पीएचएम ए तहः खाजूवाला के मु0नं0 158/09 के किला नं0 2 में 0.2276 है0, 3 सालम, 4 सालम, 5 में 0.0253 है0, 6 में 0.2276 है0, 7 सालम, 8 सालम, 9 में 0.0253 है0 तादादी 1.5174 है0 दर्शाया है। बहस सुनी गई।

अदालत द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों पर अध्ययन व बहस पर मनन करने से इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वादीया के वाद तहसीलदार खाजूवाला की प्रस्ताव/रिपोर्ट दिनांक 17.04.25 के आधार पर आंशिक स्वीकार के काबिल पाया जाता है। अतः वादीया का वाद वादपत्र के कथनों व तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट के आधार आंशिक स्वीकार किया जाकर वादगत भूमि चक 2 पीएचएम ए मु0नं0 158/01 के किला नं0 22 ता 25 प्रत्येक में 0.2529 है0 तादादी 1.0116 है0 कमाण्ड व मु0नं0 158/09 के किला नं0 1 ता 4 प्रत्येक में 0.2529 है0, 5/2 में 0.0253 है0, 6 में 0.2276 है0, 7 ता 13 सालम, 19 ता 22 सालम तादादी 4.0464 है0 कमाण्ड इसप्रकार दोनों मुरब्बा में कुल तादादी 5.0580 है0 कमाण्ड भूमि संयुक्त खाते की खातेदारी भूमि में से प्रतिवादी सं0 2 भंवरलाल पुत्र आशाराम जाति

भाट निवासी 2 पीएचएम तहः खाजूवाला के मु0नं0 158/09 के किला नं0 1,10,11,20 प्रत्येक में 0.2529 है0 रकबा कुल तादादी 1.0116 है0 एवं प्रतिवादी सं0 1 राजपाल पुत्र ओमप्रकाश जाति बिश्नोई निवासी 65 आरबी तहः रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़ के मु0नं0 158/01 के किला नं0 22 ता 25 प्रत्येक में 0.2529 है0 तादादी 1.0116 है0 , मु0नं0 158/09 के किला नं0 2 में 0.0253 है, 9 में 0.2276 है0, 12 सालम, 13 सालम, 19 सालम, 21 सालम, 22 सालम तादादी 1.5174 है0 इसप्रकार कुल तादादी 2.5290 है0 एवं वादीया उर्मिला पत्नी रामकुमार जाति बिश्नोई निवासी 3 पीएचएम ए तहः खाजूवाला के मु0नं0 158/09 के किला नं0 2 में 0.2276 है0, 3 सालम, 4 सालम, 5 में 0.0253 है0, 6 में 0.2276 है0, 7 सालम, 8 सालम, 9 में 0.0253 है0 तादादी 1.5174 है0 अलग-अलग राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने के आदेश तहसीलदार खाजूवाला को दिये जाते है। उक्त बंटवारा के अनुसार तहसीलदार खाजूवाला वादगत भूमि के नक्शा, लगान का हिस्सा अलग-अलग दर्ज करें, तदानुसार डिक्री जारी होकर पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर दाखिल दफ़्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.05.25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रमेशकुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)